

बिहार सरकार
खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग

॥ अधिसूचना ॥

संख्या-प्र04/पी.डी.एस.-07/2014/आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 (1955 का 10) की धारा-3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार के राज्यपाल बिहार व्यापारिक वस्तु (अनुज्ञापन एकीकरण) आदेश, 1984 (समय-समय पर यथा संशोधित) में तुरंत के प्रभाव से निम्नलिखित संशोधन करते हैं :-

संशोधन

परन्तु उक्त आदेश, 1984 की कंडिका-27 की उप कंडिका (ग) में प्रयुक्त शब्दों "एवं विशिष्ट पदाधिकारी प्रभारी अनुभाजन" के संदर्भ में अनुसूची-1 के भाग ड0 (अन्य वस्तुएँ) का क्रमांक-2 में उल्लिखित "किरोसिन तेल" के तहत अनुज्ञापन पदाधिकारी के रूप में कार्य करना एतद्वारा विलोपित किया जाता है।

इस अधिसूचना के निर्गत होने के पूर्व "विशिष्ट पदाधिकारी प्रभारी अनुभाजन" द्वारा उक्त अनुसूची-1 के भाग-ड0 (अन्य वस्तुएँ) की क्रमांक-2 में उल्लिखित "किरोसिन तेल" के संबंध में निर्गत अनुज्ञप्ति एवं उसके अधीन किया गया कोई कार्य अथवा की गई कोई कार्रवाई वैध मानी जाएगी। यह आदेश अधिसूचना निर्गत होने की तिथि से प्रभावी होगा।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

Shee
06/3/18

सरकार के अपर सचिव।

ज्ञापांक- प्र04/पी0डी0एस0-07/2014 1155 खाद्य, पटना/दिनांक- 07.03.18
प्रतिलिपि:- ई-गजट प्रभारी, वित्त विभाग, पटना को विषयशीर्ष के साथ अंग्रेजी अनुवाद Ms Word में सॉफ्ट कॉपी एवं दो हार्ड कॉपी सहित सूचनार्थ एवं बिहार गजट के असाधारण अंक में अविलम्ब प्रकाशनार्थ प्रेषित।

अनुरोध है कि उक्त प्रकाशित गजट की 100 प्रतियां अधोहस्ताक्षरी को शीघ्र उपलब्ध कराने की कृपा की जाय।

अनु0- सॉफ्ट कॉपी एवं दो हार्ड कापी।

Shee
06/3/18

सरकार के अपर सचिव।

ज्ञापांक- प्र04/पी0डी0एस0-07/2014 1155 खाद्य, पटना/दिनांक- 07.03.18
प्रतिलिपि:- सरकार के सभी प्रधान सचिव/सचिव/सभी प्रमण्डलीय आयुक्त /सभी जिला पदाधिकारी/निदेशक, सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग, बिहार, पटना/विशिष्ट पदाधिकारी, पटना अनुभाजन, पटना/सभी जिला आपूर्ति पदाधिकारी/सभी अनुमण्डल पदाधिकारी/सभी सहायक जिला आपूर्ति पदाधिकारी/सभी प्रखण्ड आपूर्ति पदाधिकारी/सभी पणन पदाधिकारी/सभी आपूर्ति निरीक्षक/सभी प्रशाखा पदाधिकारी, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार, पटना/अध्यक्ष, बिहार इन्डस्ट्रीज एसोसियेशन, पटना/अध्यक्ष, बिहार चेम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इन्डस्ट्रीज, पटना/अध्यक्ष, बिहार राज्य खाद्यान्न व्यवसायिक संघ, पटना/महामंत्री, बिहार आपूर्ति सेवा संघ, मौर्य लोक, पटना/ महामंत्री, बिहार फेयर प्राईस डीलर्स एसोसियेशन, भिखना पहाड़ी, पटना-4/ महामंत्री, बिहार प्रदेश जन वितरण प्रणाली दुकानदार संघ, गायघाट, पटना को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

Shee
06/3/18

सरकार के अपर सचिव।

ज्ञापांक- प्र04/पी0डी0एस0-07/2014 1155 खाद्य, पटना/दिनांक- 07.03.18

प्रतिलिपि:- मुख्य सचिव, बिहार, पटना/विकास आयुक्त, बिहार,पटना/माननीय मंत्री, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के आप्त सचिव, बिहार, पटना /प्रबन्ध निदेशक, बिहार राज्य खाद्य निगम, बिहार, पटना/महाप्रबन्धक, भारतीय खाद्य निगम, पटना/संयुक्त सचिव, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग, भारत सरकार, नई दिल्ली को सूचनार्थ प्रेषित ।

Sheer
5/3/18
सरकार के अपर सचिव।

ज्ञापांक- प्र04/पी0डी0एस0-07/2014 -1155 खाद्य, पटना/दिनांक- 07.03.18

प्रतिलिपि:- आई0 टी0 मैनेजर, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार, पटना को अधिसूचना की प्रति ईमेल एवं विभागीय वेवसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

Sheer
5/3/18
सरकार के अपर सचिव।

Government of Bihar
Food and Consumer Protection Department

Notification


No.- Pra.04/P.D.S.-07/2014/In exercise of the powers conferred by section 3 of the Essential Commodities Act, 1955 (10 of 1955) the Governor of Bihar makes the following amendments in the Bihar Trade Article (Licencing Unification) Order, 1984 (as amended from time to time) with immediate effect :-

Amendment

Provided, in reference of Licensing Authority the words "and Special Officer incharge Rationing" used in sub para (c) of para 27 of the said order 1984 with respect to "Kerosene Oil" mentioned in S.No. 2 of part-E (other articles) of the said schedule-I are hereby deleted.

The license issued by the Special Officer incharge Rationing with respect to Kerosene Oil mentioned is S.No. 2 of part E (other articles) of the said schedule-I and anything done or any action taken thereunder before the issue of this order shall be treated valid. This order shall come into force from the date of issuance of this notification.


By order of the Governor of Bihar


Addl. Secretary to the Govt. 5/6/18

Memo No. - Pra-04-PDS-07/2014- 1155

Food, Panta/Date- 07.03.18

Copy forwarded to Fiannace Department, Govt. of Bihar, Patna for information and necessary action.


Addl. Secretary to the Govt. 5/6/18